# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 28/2009**

बुधराम पुत्र बिड़दा राम जाति नायक निवासी चक 9 के (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**——अपीलार्थी**

**बनाम**

1. पेमाराम
2. रतना राम
3. डूंगर राम
4. नोजा

पिसरान बिड़दा राम जाति नायक निवासी 9 के (ए) हाल चक 60 जी बी तहसील अनूपगढ़।

5. मीरा पत्नी वेद प्रकश जाति नायक निवासी चक 59 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. केसरी देवी बेवा सुखराम जाति नायक निवासी 22 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. शिमली पुत्री सुखराम पत्नी बनवारी जाति नायक निवासी 31 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. सुन्दरी पुत्री सुखराम जाति नायक जरिये लेखुराम नायक निवासी 15 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. बनवारी
10. रोशनी
11. रेशमी
12. धनाराम

पिसरान सुखराम जाति नायक निवासी चक 22 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

13. मनोहरी देवी बेवा छोटूराम जाति नायक निवासी 9 के (ए) हाल चक 60 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर——मृतक

14. मनोहर लाल — पिसरान छोटूराम जाति नायक निवासी 9 के (ए)
15. राजू — हाल चक 60 जी बी तहसील अनूपगढ़।
16. जगदीश
17. गीता पुत्री छोटूराम जाति नायक निवासी हाल पुरानी मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, अनूपगढ़।

**——रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ दिनांक 08.05.2001

**उपस्थितिः—**

श्री सोहन लाल जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री कृष्ण लाल लदोईया, अभिभाषक रेस्पोडेंट
श्री वेद प्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण सोना देवी आदि द्वार एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियक की धारा 88, 188 व 53 का पेश कर चक 9 के (ए) के मुरब्बा नम्बर 116/32 के किला नम्बर 1 से 25 के सम्बन्ध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी पेश किया। उक्त वाद का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने पेश कर वाद वादी खारिज करने का एवं केसरी देवी आदि द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 97/97 डिक्री करने का निवेदन किया। सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.09.2000 को वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये एवं विभाजन के प्रस्ताव तलब करने के आदेश दिये। तहसीलदार अनूपगढ़ ने दिनांक 21.04.2001 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.03.2001 में यह

अंकित है कि रिपोर्ट सही प्राप्त नहीं हुई, पुनः लिखा जावे। तत्पश्चात् तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.05.2001 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही दावा डिक्री कर दिया। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इसी प्रक्रिया के तहत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात् विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी करने में कोई भूल नहीं की। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 08.05.01 के विरूद्ध दिनांक 09.01.2009 को पेश की है, जो मियाद बाहर है। अतः गुणावगुण पर एवं मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.05.2001 के विरूद्ध दिनांक 09.01.2009 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लार्जर बैंच निर्णय कैशय व अन्य बनाम रमेश व अन्य आर आर डी 14.10.17 पेज 679 में यह मत अवधारित किया है कि तहसीलदार को अपनी टीम के साथ काश्त के विभाजन के लिए मौके पर जाना आवश्यक है व मौका निरीक्षण कर अपने विवेक से रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। अपने अधीनस्थ कार्मिक/अधिकारी की रिपोर्ट अग्रेषित करना पर्याप्त नहीं है। इस बाबत् प्रक्रियात्मक प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये है। तदनानुसार इन प्रावधानों की पालना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा इन प्रावधानों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की मांग की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त प्रावधानों की पालना कर विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाये गये हो।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2001 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय के संदर्भ में उक्त नियमों की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये जाकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( कन्हैया लाल स्वामी )**
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**श्रीगगांनगर**